

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें क्रमवार पेश किया जाये। वे भाषण एक दें। चर्चा भी इकट्ठी होगी।

आपात की उद्घोषणा तथा चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में संकल्प

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :—

“यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन २६ अक्टूबर १९६२ को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।”

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सदन के सामने रखता हूँ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ :

“यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन २६ अक्टूबर, १९६२ को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।”

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“यह सभा इस बात पर अत्यधिक खेद प्रकट करती है कि एक-दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे पर आक्रमण न करने और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की मान्यता के आधार पर चीनी लोक गणराज्य की सरकार के प्रति भारत के निरन्तर सद्भावना और मैत्री प्रदर्शित करने के बावजूद भी चीन ने इस सद्भावना और मैत्री तथा पंचशील के सिद्धांतों के प्रति, जिन से दोनों देश सहमत थे, विश्वासघात किया है और उसने भारत पर आक्रमण तथा सशस्त्र सेनाओं से भारी हमला किया है।

“हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवान तथा अफसर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुये जिस वीरता से लड़े हैं यह सभा उसकी अत्यधिक प्रशंसा करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के गौरव तथा अखंडता की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी है।

“यह सभा भारत पर चीन के आक्रमण से उत्पन्न आपात-कालीन स्थिति तथा संकट का सामना करने के लिये भारतीय जनता के अभूतपूर्व तथा सहज उत्साह की भी सराहना करती है। इस गम्भीर राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिये जनता के सारे साधनों को जुटाने में सभी वर्गों के लोगों में मिलकर प्रयत्न

बारे में संकल्प

करने की जो गहरी उमंग है उसके लिये यह सभा आभारी है। स्वतंत्रता तथा बलिदान की ज्वाला फिर से दहक उठी है, और भारत की आजादी और अखंडता के लिये समर्पण की भावना नये सिरों से पैदा हो गई है।

“यह सभा आक्रमण और हमले के विरुद्ध संघर्ष की इस भीषण घड़ी में अनेक मित्र देशों से प्राप्त सहानुभूति और नैतिक तथा भौतिक सहायता के लिये आभार प्रकट करती है।

“यह सभा भारत की पुण्य भूमि से हमलावर को खदेड़ देने के लिये, चाहे इसके लिये कितना ही लम्बा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प का आशा और दृढ़ विश्वास के साथ समर्थन करती है।”

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संकल्प को भी सदन के समक्ष रखता हूँ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ :

“यह सभा इस बात पर अत्यधिक खेद प्रकट करती है कि एक-दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे पर आक्रमण न करने और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की मान्यता के आधार पर चीनी लोक गणराज्य की सरकार के प्रति भारत के निरन्तर सद्भावना और मैत्री प्रदर्शित करने के बावजूद भी चीन ने इस सद्भावना और मैत्री तथा पंचशील के सिद्धांतों के प्रति, जिन से दोनों देश सहमत थे, विश्वासघात किया है और उसने भारत पर आक्रमण तथा सशस्त्र सेनाओं से भारी हमला किया है।

“हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवान तथा अफसर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुये जिस वीरता से लड़े हैं, यह सभा उसकी अत्यधिक प्रशंसा करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के गौरव तथा अखंडता की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी है।

“यह सभा भारत पर चीन के आक्रमण से उत्पन्न आपात-कालीन स्थिति तथा संकट का सामना करने के लिये भारतीय जनता के अभूतपूर्व तथा सहज उत्साह की भी सराहना करती है। इस गम्भीर राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिये जनता के सारे साधनों को जुटाने में सभी वर्गों के लोगों में मिलकर प्रयत्न करने की जो गहरी उमंग है उसके लिये यह सभा आभारी है। स्वतंत्रता तथा बलिदान की ज्वाला फिर से दहक उठी है, और भारत की आजादी और अखंडता के लिये समर्पण की भावना नये सिरों से पैदा हो गई है।

“यह सभा आक्रमण और हमले के विरुद्ध संघर्ष की इस भीषण घड़ी में अनेक मित्र देशों से प्राप्त सहानुभूति और नैतिक तथा भौतिक सहायता के लिये आभार प्रकट करती है।

“यह सभा भारत की पुण्य भूमि से हमलावर को खदेड़ देने के लिये, चाहे इसके लिये कितना ही लम्बा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प की आशा और दृढ़ विश्वास के साथ समर्थन करती है।”

श्री जवाहरलाल नेहरू: अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर संकट के कारण, संसद की बैठक निश्चित तिथि से पहले बुलाई गई है। सदन को और भारत के सब लोगों को और विश्व के बड़े भाग को ज्ञात है कि चीन ने भारी सेनाओं के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया है और कुछ गम्भीर लड़ाइयां हुई हैं, जिनमें दोनों ओर आदमी हताहत हुये ह।

उत्तर में पांच साल तक हमारी सीमा पर चीनियों ने हम पर आक्रमण जारी रखा है। शुरू में यह आक्रमण छिप कर होता था। कभी कभी कुछ मुठभेड़ भी होती थी, जिन्हें सीमा घटनायें कहा जा सकता है। इस समय हमें भारी फौजों के एक नियमित हमले का सामना है।

चीन, जो कि साम्राज्यवाद का विरोधी होने का दावा करता है, एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है जिसका उदाहरण अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में मिल सकता है। उन दिनों में यूरोप के साम्राज्यी देश औद्योगिक क्रांति के बल और हथियारों से एशिया और अफ्रीका के बड़े भाग बलपूर्वक हथिया लेते थे। वह साम्राज्य अब नहीं है और यूरोपीय देशों के बहुत से उपनिवेश आजाद हो चुके हैं। किन्तु आश्चर्य है कि चीन की सरकार जो साम्राज्य की विरोधी थी, आक्रमण और साम्राज्य की नीति अपना रही है।

यह दुःख की बात है कि हम पर जिन्होंने सारे विश्व में शांति का प्रयत्न किया है और चीन के साथ मित्रता चाही है, उनके साथ सद्भावना का व्यवहार किया है और विश्व की परिषदों में उसके लिये प्रयत्न किया है, उस देश की ओर से आक्रमण किया जाये, जो अपने आपकी साम्राज्यवाद का विरोधी कहता है।

इतिहास के इस विचित्र चक्कर से हमें ऐसी स्थिति का सामना है, जिस का कि हमें एक सौ वर्ष से अनुभव नहीं हुआ। हाल के वर्षों की कुछ घटनाओं के बावजूद, जैसा कि सुएज की घटना, हमने यह समझ लिया था कि ऐसा अतिक्रमण अब पुरानी बात है।

हमारी सीमाओं पर पांच वर्षों में चीन के अतिक्रमणों से यद्यपि काफी परेशानी हुई, फिर भी हमें यह ख्याल नहीं था कि चीन भारी फौजों से भारत पर आक्रमण करेगा। अब हम ने वह आक्रमण देख लिया है और इससे हमें और बहुत से देशों को धक्का पहुंचा है।

इतिहास ने एशिया में और संभवतः सारे विश्व में एक नया पलटा खाया है और अब हमें अपनी तूरी ताकत से अपनी आजादी के खतरे का मुकाबला करना है। यह खतरा केवल हमें नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के सारे अभिसमय भंग कर दिये गये हैं और इसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ा है। कोई भी आत्म-सम्मान करने वाला देश जो अपनी आजादी को प्यार करता चाहे, इस नीती के सामने झुक नहीं सकता। भारत कभी भी नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी परिणाम हो। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो।

यह चुनौती हमारे लिये एक अवसर भी है। वास्तव में भारत के लोगों ने लाखों की संख्या में जो एकता और उत्साह दिखाया है, जो पहले कभी देखने में नहीं आया। एक संकट आ गया है और हम इस का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गये हैं।

ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय संकट की स्थिति का अनुमोदन मांगा गया है। यह विदेशी सेनाओं द्वारा आक्रमण के समय अनिवार्य था और संविधान में ऐसे संकट के समय के लिए इसके लिये व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि सदन

इस उद्घोषणा का अनुमोदन करेगा और बाद में भारत रक्षा अध्यादेश और अन्य कदमों का भी अनुमोदन करेगा जो कि उठाये जा रहे ह।

मैं चाहता हूँ कि सदन इतिहास की दृष्टि से इस पर विचार करे। हम भारत नहीं बल्कि एशिया या दुनिया के इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं; क्योंकि इस झगड़े का प्रभाव सब पर पड़ेगा। इस का प्रभाव एशिया पर पड़ेगा, जिस के दो बड़े देश चीन और भारत हैं। इस का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ेगा। इस समय हमें इस बेरहम और नग्न आक्रमण से बहुत धक्का लगा है। विश्व ने देश के लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी है और विश्व अभी ये भी देखेगा कि भारत के लोग आज़ादी को खतरे के समय कैसे काम करते हैं।

यह स्वाभाविक है कि हमें धक्का लगे और हमें जोश आये। किन्तु हमें याद रखना है कि इतिहास का यह मोड़ जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मालूम नहीं कि हमें कितने अर्से तक, कितने सालों तक इस का सामना करना पड़े। किन्तु यह कितनी देर भी रहे हमें राष्ट्र को इस का सामना करने के लिए तैयार और प्रशिक्षित करना है। मैं इस भावना से सदन को नेतृत्व करने के लिए कहता हूँ।

हमारी सीमाओं पर चीनी आक्रमण पांच साल पुराना है और सदन कई बार इस पर विचार कर चुका है। पिछले अवसर पर यह चर्चा १२ अगस्त, १९६२ को हुई थी। बहुत से श्वेत पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें भारत और चीन सरकारों के बीच लम्बा पत्र व्यवहार दिया गया है। आज भी मैंने श्वेत-पत्र संख्या ७ पटल पर रखा है। २२ अगस्त, १९६२ को चीन को एक नोट भेजा गया था। इस का उत्तर १३ सितम्बर को मिला। किन्तु उत्तर भजने या प्राप्त होने से पहले, ८ सितम्बर, को चीन की फौजें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर के नेफ्रा के उत्तर पश्चिम कोने में थागला चोटी के पार चोला चौकी पर आक्रमण करने लगे। हमने सोचा था कि हम इस नये आक्रमण का मुकाबला करने के समर्थ होंगे और हमने उस क्षेत्र में अपनी सेनाएं मजबूत करने के लिए कदम उठाये।

इस नये आक्रमण के पांच दिन बाद, १३ सितम्बर को चीनी सरकार ने एक धमकी का उत्तर दिया और मांग की कि सीमान्त प्रश्न पर चर्चा की जाये। हम पहले साक्ष्य दे कर दिया चुके हैं कि हमारी सीमा मेकमाहन लाइन है। यह सीमा मि० मेकमाहन ने निर्धारित नहीं की थी, चाहे कोई भी उत्तरदायी हो, यह हिमालय की चोटी पर दोनों देशों के बीच पुरानी सीमा थी। कुछ हद तक चीनी भी इसे मानते थे यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से। बर्मा में इस लाइन को वे अवश्य मानते थे।

संवैधानिक या कानूनी दृष्टि से इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक सीमान्त गांव लांगजू को छोड़ कर चीनी उस लाइन के इस पार कभी नहीं आये।

यह मेकमाहन लाइन, जिसे चीनी अबैध कहते हैं, १९१४ में ४८ वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। चाहे यह वैध है या नहीं यह पिछले ५० वर्ष से भारत का अंग रहा है और इस का पुराना इतिहास भी हमारे पक्ष में है। पचास साल से यह सीमा हमारी उत्तरी सीमा रही है। वास्तव में यह ५० वर्ष से पहले भी थी। यद्यपि चीनी इसे नहीं मानते थे— १९१३ में उन की आपत्ति मेकमाहन लाइन पर नहीं थी, उन की आपत्ति संधि के एक और भाग पर थी जिसके द्वारा अन्द्ररूनी और बाहरी तिब्बत का विभाजन किया गया था—तथापि इस आपत्ति के कारण उन्हें सारी संधि पर आपत्ति थी। यद्यपि चीनी इसे स्वीकार नहीं करते थे यह सीमा लगभग ५० वर्ष से हमारे नकशों, संविधान, संगठन और प्रशासन आदि में कायम है। उन के इसे स्वीकार न करते

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हुए भी, क्या वे इसे भंग करने के लिए सशस्त्र आक्रमण कर सकते हैं। स्वयं चीनियों को मालूम है कि भारत का इस क्षेत्र पर कब्जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस लम्बे पत्र व्यवहार को पढ़े, तो वह देखेगा कि उन की तथाकथित सीमा बदलती रहती है। यह सीमा वहां हो जाती है जहां वे इसे निर्धारित करते हैं और इस मामले में उन्होंने बहुत सी परस्पर विरोधी बातें की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्वतंत्र होने के बाद हमने नेफा के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है। यह एक विचित्र बयान है क्योंकि इस लाइन को १९१३-१४ से स्वीकार किया जाता रहा है। इस के अतिरिक्त हम चाहते थे कि सीमान्त क्षेत्रों के आदिमजाति लोग हमारी आजादी में भाग लें। अंग्रेजों ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था और केवल गड़बड़ के समय हस्तक्षेप करते थे। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे मेकमोहन लाइन को ही सीमान्त समझते थे। उन्होंने वहां कोई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं की। आजादी के बाद, हम चाहते थे कि भारत के अन्य भागों की तरह इन क्षेत्रों का भी विकास किया जाय। इसलिए हमने वहां न केवल प्रशासन चालू किया बल्कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें, आदि भी बनाईं। चीनी इसी को हमारा कब्जा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इन पत्रों की पढ़े और पिछले इतिहास को पढ़ें तो वह कि इस क्षेत्र पर कई सालों से हमारा कब्जा हर अर्थ में रहा है—कानूनी पहलू से संवैधानिक पहलू से, प्रशासनिक पहलू से, और अमली तौर पर।

कानूनी और संवैधानिक पहलू चाहे कुछ भी हो, क्या इस प्रकार के अचानक हमले को न्यायोचित करार दिया जा सकता है। सदन को याद होगा, कि हम इस मामले पर कई बार जर्चा चुके कर चुके हैं, अधिकतर लड़ाख में उन के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए क्योंकि नेफा के क्षेत्र के लांगजू को छोड़ कर और कोई घटना नहीं हुई थी।

बातचीत के दौरान में उन की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती थी और उन की बातों के दो दो अर्थ निकाले जा सकते थे। कई बार आश्वासन देकर वे मुकर जाते थे। मुझे याद है जब कि पांच या ६ वर्ष पहले चीन के प्रधान मंत्री के साथ मेरी लम्बी बातचीत हुई थी। बातचीत के तुरन्त बाद मैंने एक नोट तैयार किया था, ताकि मैं बातचीत को भूल न जाऊं। यह नोट हमारे कार्यालय में है। उस नोट का एक भाग मैंने चीनी सरकार को भेजा था, किन्तु उन्होंने इसकी सचाई से इन्कार कर दिया था। मुझे इस पर बहुत आश्चर्य और दुःख हुआ, क्योंकि मुझे तो यकीन था। मुझे यकीन है कि चीनी प्रधान मंत्री ने मुझे यह निश्चित उत्तर दिया था कि यद्यपि चीनी सरकार मेकमाहन लाइन को अबैध समझती है, फिर भी चूंकि वे हमारे साथ मंत्री रखना चाहते हैं और इतने तथ्यों के होते हुए, वे इसे मानने के लिए तैयार होंगे। मुझे यह अच्छी तरह से याद है। बाद में उन्होंने इस से इन्कार किया। इसलिए यह कहना कठिन हो जाता है कि किसी विशेष समय पर उन की स्थिति क्या थी।

बात अब यह है कि चाहे वे मेकमाहन लाइन को मानें या न मानें कुछ सप्ताह पहले तक यह पूर्ण रूप से हमारे कब्जे में थी, इस ओर का सारा इलाका कई पीढ़ियों से हमारे कब्जे में है। १९१३-१४ की वाद की तिथि भी दी जा सकती है। फिर भी चीनी सरकार के हमले को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

सदन ने देखा होगा कि नेफा की हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में चीनी सरकार ने एक विचित्र रवैया अपनाया है। वे कहते जा रहे हैं कि भारत ने उन पर हमला किया है और उन के सीमान्त सैनिक केवल अपनी रक्षा कर रहे हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि यह तथ्यों के बिल्कुल उलट है और झूठ को सचाई और सचाई को झूठ किये जाने के इस प्रयत्न से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ

है क्योंकि उनका कहना बिल्कुल निराधार है। तथ्य केवल एक है और वह यह कि इन सब वर्षों में हमारा कब्जा मेकमाहन लाइन तक रहा है, हम एक इंच भी उस के आगे नहीं गये और न ही दूसरे के क्षेत्र पर नजर रखी है। वे वहां आ गये हैं। मान लीजिये कि मेकमाहन लाइन कहां है इस के बारे में संदेह है। किन्तु बात यह है कि उन्होंने ऐसे क्षेत्र पर हमला किया है, जो पिछले १० हजार साल कभी उन के कब्जे में नहीं रहा। वर्तमान चीनी सरकार लगभग १२ वर्ष पहले बनी थी। इसलिए उन का दावा केवल इन १२ वर्षों में या उस से पहले तिब्बत के द्वारा किया जा सकता है। यह सच है कि पिछले काफी समय से तिब्बत और भारत के बीच, अंग्रेजों के जमाने में भी, सीमान्त के कुछ प्रश्न थे। किन्तु ये सब प्रश्न छोटे छोटे सीमान्त क्षेत्रों के बारे में थे। तिब्बती सरकार ने और न और किसी ने कभी इतने बड़े क्षेत्र पर, जो नेफा का दो तिहाई है और लद्दाख के इतने बड़े क्षेत्र पर दावा किया है।

अतः हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, और वह यह है कि चीनी भारी फौजों के साथ इस क्षेत्र में आये हैं, जो कि लम्बे अरसे से भारत में रहा है और भारत द्वारा प्रशासित किया गया है। यदि इस पर उन का कोई दावा था, तो वे शान्तिपूर्ण तरीके से बातचीत कर के समझौता कर सकते, मध्यस्थ ये नियुक्त किया जा सकता था या विश्व न्यायालय में मामला पेश किया जा सकता था।

यहां में इसे दुर्भाग्य की बात समझता हूँ कि चीन की वर्तमान सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व नहीं है। माननीय सदस्य हैरान होते हैं जब हम इस प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। हमने वर्तमान हमले के बावजूद चीन का समर्थन किया है। यह पसन्द वा नापसन्द का प्रश्न नहीं है। यदि चीन का संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व न हो, तो विश्व में निःशस्त्रीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो हो नहीं सकता कि सारा विश्व तो निःशस्त्रीकरण अपना ले और चीन को पूरी तरह शस्त्रों से लैस रहने दिया जाये। इसलिये मुझे हर्ष है कि हमने क्रोध के बावजूद अपना दृष्टिकोण कायम रखा है और इस का समर्थन अब भी किया है। कठिनाई यह है कि उन्हें किसी न्यायाधिकरण या विश्व न्यायालय के सामने नहीं लाया जा सकता। वह एक अनुत्तरदायी देश है, जो समझता है कि केवल युद्ध से ही झगड़े निबटायें जा सकते हैं और जिसे शान्ति से कोई लगाव नहीं है और जिसके पास बहुत शक्ति है। यह स्थिति न केवल भारत के लिये बल्कि सारे विश्व के लिये खतरनाक है। मैं साम्यवाद या गैर-साम्यवाद के प्रश्न में नहीं जा रहा हूँ। मेरे विचार में यह इस मामले का बड़ा पहलू नहीं है। साम्यवाद सहायता दे सकता है किन्तु मुख्य विषय यह है कि एक साम्राज्यवादी देश दूसरे देश पर जान बूझ कर आक्रमण करता है . . .

† श्री त्यागी : (देहरादून) : एक गुलाम सेना के साथ।

† श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य ने क्या कहा है। मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ देश, हर एक मामले को साम्यवाद और गैर-साम्यवाद की दृष्टि से देखते हैं। इस का परिणाम यह है कि वह प्रश्न के बुनियादी पहलू को नहीं देख सकते। साम्यवाद सहायता करे या न करे, साम्यवाद कुछ उन्हें बल दे या कमजोरी। हमें आज ऐसे अतिक्रमण का सामना है, जो १८वीं या १९वीं शताब्दी में देखा जाता था, उस समय तो कोई साम्यवाद नहीं था।

† मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : (चित्तूड़) : यह २० वीं शताब्दी है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अतः : हमें अपनी सीमाओं पर आज इस नये किस्म के साम्राज्यवाद का सामना है। एशिया को इस का सामना है और सारे विश्व को इस की चिन्ता है। फिलहाल हमें चिन्ता सबसे अधिक है, हमें इस का मुकाबला करना है और भार स्वयं उठाना है, यद्यपि कुछ मित्र देशों ने हमारी सहायता की है और हम इसके लिये उनके आभारी हैं।

यह कहना कि हमने चीनी राज्यक्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, ऐसी बात है जो मेरे जैसे आदमी को समझ नहीं आ सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने विरुद्ध अतिक्रमण करें, अपने ही देश की भूति पर अतिक्रमण करें और वे पहाड़ पार करके हमारे देश में आकर रक्षा करें। यह बड़ी विचित्र बात है कि अपने कर्मों को न्यायोचित ठहराने के लिये लोग क्या क्या नहीं करते।

यह सच है कि जब ८ सितम्बर को हमें मालूम हुआ कि वे थागला चोटी को पार कर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमारी चौकियों में पर्याप्त संख्या में सिपाही थे। किन्तु यदि बहुत बड़ी संख्या में सेनाएं आ जायें, तो एक साधारण चौकी उन का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिये हमने चौकियों को मजबूत करने के लिये और सेनाएं भेजने के लिये तुरन्त पग उठाये। इस संबंध में एक दुर्भाग्य की बात याद रखनी चाहिये। हमने जो सेनाएं भेजीं, वे काफी जवान और सशक्त थीं, किन्तु उन्हें भारत के मैदानों से १४००० फुट की ऊंचाई पर भेजना पड़ा। कोई व्यक्ति चाहे कितना बलवान हो उसे उस मौसम के अनुकूल होने के लिये समय चाहिये। हमने कुछ और सेनाएं भेजीं और समझा कि वे चीनियों का मुकाबला कर सकेंगी। चीनियों ने भी अपनी सेनाएं बढ़ानी शुरू कर दीं। उनके लिये ऐसा करना अधिक आसान था, क्योंकि तिब्बत में उन की बहुत फौजें थीं। मैं नहीं जानता कि कितनी हींगी। पहले ११ डिवीजन थे, अब सुना है १३ या १४ डिवीजन हैं। आप सोचिये कि केवल तिब्बत में उनकी कितनी भारी सेनाएं हैं।

†श्री रामेश्वरानन्द : अब तो आपको चाइनीज की मनोवृत्ति का पता चल गया होगा . . .

†श्री जवाहर लाल नेहरू : मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य इस बारे में बहुत उत्सुक हैं तो हम उन्हें सीमा पर भेज देंगे। शायद भाषणों से चीनियों पर प्रभाव पड़े। इसलिये सबसे पहले चूँकि चीनी फौजें बहुत समय तक तिब्बत के पठार पर रहीं थीं, अतः चीनी फौजों ने पूर्णतया अपना जीवन वहाँ की जलवायु के अनुरूप बना लिया था। यह चोटी के बिल्कुल समतल पर नहीं था, बल्कि उसके नीचे था।

दूसरे, पिछले कुछ वर्षों में सारे तिब्बत पर सड़कें बन गई हैं और वहाँ के अत्यन्त सख्त जलवायु में सड़कों के बनाने का मतलब पत्थर इत्यादि को हटा कर केवल भूमि को समतल करना है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर सीमेंट आदि की आवश्यकता थी। वहाँ भूमि भी बहुत सख्त है। अतः वहाँ सड़कें हैं और वे शायद तिब्बत से शीघ्र सूचना पर एक भाग से दूसरे भाग को सफर कर सकते हैं।

अतः वे थागला चोटी की दूसरी ओर बहुत फौजें ला सकते थे। हम शीघ्र उन्हें नहीं देख सके क्योंकि वे चोटी की दूसरी ओर थीं। यद्यपि चीनी थागला चोटी को पार करके कुछ फौजें और ला रहे थे, वे देखी नहीं जा सकीं। वह नजदीक ही दूसरी ओर बहुत संख्या में

फौजें ला रहे थे और २० तारीख को हुई लड़ाई के पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत से लोग बर्बाद किये। यह नहीं पता कि कितने : हमारी फौजों से छै, सात और आठ गुना। अतः उन्हें न केवल फौजें लाने परन्तु थागला चोटी की दूसरी ओर वह सब कुछ पहुंचाने का, जो शीघ्र लाया जा सकता था, और उन्हें भेजने के मामले में ज्यादा अच्छी स्थिति में है। मैं केवल उन ऊंचाईयों पर अचानक भेजे जाने वाली सेना को सामरिक दृष्टि से विपरीत परिस्थिति का विचार कर रहा हूं। उनकी सब आवश्यक वस्तुएं हवाई जहाजों द्वारा भेजी जाती हैं। हमारी बायें सेना ने, कभी कभी शत्रुओं की गोलावारी के और इतने ऊंचे पहाड़ों की कठिनाइयों के बावजूद, वहां बहुत अच्छा काम किया है। इस प्रकार यह चलता रहा।

हमारी तैयारी न होने की बहुत आलोचना हुई है। मेरी भी इसमें से बहुत कुछ अज्ञानिता की धारणा है। (अन्तर्वाचा)

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगावाद) : हम अन्तर्वाचा नहीं डालना चाहते। आप अपनी इच्छानुसार उत्तर देते रहिए।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : बहुत सी यह बात तथ्यों की जानकारी न होने के कारण है। उन में से कुछ ठीक हैं। सबसे पहले यह बिल्कुल सत्य है कि हमारी फौजों पर चीनियों के दो या तीन डिवीजनों द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिये हम तैयार नहीं थे।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आप क्या कर रहे थे (अन्तर्वाचा)

अध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लीजिए आराम से, इस तरह इंटरव्यू करने से कैसे काम चलेगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : यह दुराग्रह में आज तक फंसे रहे और अब हमारी बात सुनना भी नहीं पसन्द करते।

अध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लें आराम से।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह क्या कर रहे थे ? वह लोग हमला कर रहे थे तब यह क्या कर रहे थे ?

श्री बागड़ी : जब स्वामी जी ने कुछ कहा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन को फ्रंटियर को भेज दो। फ्रंटियर में जायेंगे हमारे बच्चे, वह बहादुर हैं। वह चीन तक जायेंगे और जीत कर आयेंगे। (अन्तर्वाचा)

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार में स्वामीजी ने . . .

श्री राम सेवक यादव : स्वामी जी की परेशानी यह है कि वे इस बोली को समझते नहीं हैं, आप उन को समझाइये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यही मैं कह रहा था कि मुश्किल यह है कि स्वामी जी कुछ भी नहीं समझते।

श्री राम सेवक यादव : स्वामी जी सब कुछ समझते हैं . . .

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बोली की बात नहीं है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय सदस्य के लिये यह कहना कि वह कुछ समझते नहीं हैं, यह ठीक नहीं है। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी तकलीफ को भी समझें। अगर स्वामीजी इस बोली को नहीं समझते और प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरी बोली में बोलें तो कई और माननीय सदस्य नहीं समझेंगे। इसलिये यह तो सुन लीजिये। उस के बाद हम देखेंगे कि स्वामी जी को कैसे समझाया जाय।

श्री राम सेवक यादव : प्रधान मंत्री जी ने एक बार यह भी किया था कि इस देश की बोली में यहां बोले थे। अब यह अंग्रेजी में बोल रहे हैं। यदि इस प्रश्न पर हिन्दी में बोलते तो अच्छा होता।

श्री रामेश्वरानन्द : जब मैंने छः महीने पहले कहा था तो आप ने कहा था कि वह सब भाषण छपे हुए हैं हिन्दी में।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई अजब बात नहीं कि स्वामी जी को इलहाम हो जाये पहले से लेकिन इस समय तो हम को सुनने दीजिए। (अन्तर्बाधाएं)

श्री रामेश्वरानन्द : हम को हुआ है, यही हम कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब स्वामी जी आराम से बैठेंगे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे अफसोस है कि इस मामले में स्वामी जी का कहना माना नहीं जा सकता। मैं खुशी से उसे अनुगृहीत करता, परन्तु मेरी कठिनाई जैसा कि आप ने स्वयं बतलाया है यह है कि इस प्रकार के विषय को यदि मैं अंग्रेजी में न बोलू तो नहीं समझेंगे।

मैं सैनिक तैयारी न होने के बारे में बोल रहा था। यह बिल्कुल सच है कि हम दो या तीन डिवीजनों के भारी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, परन्तु सड़कों, कम्बलों इत्यादि के लिए जो अन्य बातें कही जाती हैं वे बहुत हद तक गलत हैं। (अन्तर्बाधाएं)

श्री मोहन स्वरूप : (पीलीभीत) : हथियारों के विषय में क्या स्थिति है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बात अजीब है कि यहां बहुत से व्यक्ति जिन्हें हथियारों के विषय में जानकारी नहीं हथियारों की बात करते हैं। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : हम माननीय प्रधान मंत्री की सुन लें। सब को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। हम प्रधान मंत्री को सुन रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ब्यारे में जाना नहीं चाहता। मैं यह जानना चाहता था कि जो आलोचनाएं की जाती हैं, उन में से कुछ उचित हैं, बहुत सी उचित नहीं हैं। हथियारों के बारे में साधारणतया संसद् में खुलमखुला बात नहीं की जाती परन्तु मैं प्रसन्नतापूर्वक यह बताऊंगा कि हम ने क्या किया है, हम ने क्या नहीं किया है और हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि स्वतन्त्रता मिलने तक हमारा प्रतिरक्षा विभाग पूर्णतया युद्धकार्यालय के अधीन था और युद्धकार्यालय न केवल नीति निर्धारित करता था, परन्तु इस

बात पर बल देता था कि प्रत्येक चीज यथासम्भव व्हाइट हाल के द्वारा प्राप्त की जाए। पिछले महायुद्ध में विदेशों, इंग्लैंड से युद्ध सामग्री प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण, हमारे कुछ हथियारों के कारखाने बने, परन्तु वे अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही थे। सब से पहली समस्या जिस का हमें समाधान करना था वह व्हाइट हाल के वातावरण से छूटकारा पाना था और वहां की प्रत्येक चीज लेने और अपनी नीति निर्धारित करने आदि की अपनी प्रथा को खतम करना था। मेरे विचार में हम ने इन वर्षों इस उद्योग को बनाने के लिए अच्छा काम किया है।

हमारे सामने इस बात की छूट रही है कि हम विदेशों से हथियार खरीदें या अपने आप बनाएं। स्पष्टतः स्वयं हथियार बनाना बहुत अच्छा है क्योंकि उस से देश की औद्योगिक और अन्य दिशाओं में विकास होता है और दूसरे आप बाहर ही से हथियार प्राप्त करने पर निर्भर नहीं रह सकते। किसी समय भी व आप को न दें। आर्थिक दृष्टि से भी बाहर से हथियार लेना ठीक नहीं। अतः हमने स्वयं हथियार बनाने की कोशिश की है और हम ने अच्छी प्रगति की है। मुझे नहीं पता शायद हम और अधिक प्रगति कर सकते थे। कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। एक उद्योग का विकास देश की सम्पूर्ण औद्योगिक पृष्ठभूमि पर निर्भर है। हम ने इस बात पर जोर दिया है।

हथियारों, अपने आप चलने वाली बन्दूकों और शेष हथियारों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। हम तीन चार वर्षों से हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु एकस्वों इत्यादि और पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कठिनाइयां हैं। अन्त में इन कठिनाइयों पर काबू पाया और इस वर्ष हथियार बनाने आरम्भ कर दिए और हम उन्हें बना रहे हैं।

पहले हमें बहुत से हथियार विदेशों से मंगवाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। हमें हथियार मिल जाते, परन्तु हम हथियार लेने से हिचकिचाते थे। हम उन्हें स्वयं बनाना चाहते थे। यदि हम शान्ति के समय में सब हथियार बाहर से मंगवाते, तो हमें बहुत व्यय करना पड़ता। हमारी सब योजनाएं समाप्त हो जातीं। जंग के लिए हथियारों पर करोड़ों रुपये खर्चने पड़ते हैं। कई हज़ार करोड़। इस से हमारी सारी अर्थव्यवस्था जटिल हो जाती। मामला भिन्न है जब हम बड़े भारी संकट का सामना कर रहे हैं जिस के विषय में हमारे लोगों की बड़ी प्रबल भावनाएं हैं, और जिसे विश्व भी देखता है। इस समय हम चीजें अच्छी शर्तों पर ले सकते हैं और लोग बहुत धन व्यय करने को तैयार हैं।

मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को समझें कि हवाई जहाजों के उद्योग, हथियार बनाने के उद्योग को आधुनिकतम बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। हम इस मामले में अमेरिका, सोवियत संघ और इंग्लैंड का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे लिए अपने बुनियादी उद्योग और विज्ञान को इतना आगे ले जाना सम्भव नहीं है। परन्तु वैज्ञानिक रूप में हम ने काफी प्रगति की है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिरक्षा विज्ञान विभाग जो हमने बनाया है उच्च स्तर की चीज है। उस में लगभग २,००० वैज्ञानिक काम करते हैं।

यदि कुछ गलतियां की गईं या देरियां हुईं, इस समय उन की मुझे खानबीन नहीं करनी है। इस समय आरोप लगाना और यह कहना कि अधिकारी या मंत्री इस के लिए जिम्मेदार हैं अच्छी बात नहीं है। एक तरह से हम सब पर आरोप आना चाहिए। (अन्तर्जवाब)

यह सही है कि पहली अक्टूबर से जब कि मैं विदेश यात्रा से आया था, मैं इस मामले में सीधे रूप से सम्बन्धित रहा हूँ—पहले प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित था। मैं, चीफ आफ

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्टाफ और अन्य सम्बन्धित व्यक्ति इकट्ठे बैठे हैं और मामलों की चर्चा की है। स्वभावतः विशेषज्ञों, चीफ आफ स्टाफ और उनके सलाहकारों ने युद्ध नीति के बारे में निर्णय करना है। मैं ने यह निर्णय नहीं करना। मुझे इस के बारे में अधिक नहीं पता। मैं उन्हें प्रश्न पूछ सकता हूँ, उन्हें सुझाव दे सकता हूँ। अन्तिम रूप से कार्यवाही करना उनके हाथ में है।

हमने कई कदम उठाए। २ अक्टूबर को हम ने जनरल कौल को जो उस समय छट्टी पर थे वापस बुला लिया। हमने नेफा नागाहिल्स इत्यादि को अलैहदा करके कमांड का तरीका बदला। वह वहां लगभग २४ घण्टे के अन्दर गये। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लड़ाई का तजुर्बा नहीं था। यह बात ठीक नहीं है। उन्हें बर्मा में लड़ाई का तजुर्बा था। जब काश्मीर में दिक्कत हुई तो वे वाशिंगटन में हमारे सैनिक सहकारी थे। उन्होंने हमें वहां भेजने के लिए प्रार्थना की; हम ने उन्हें वहां भेजा। मैं अपने कई अधिकारियों को जानता हूँ। उन में से कई अच्छे हैं। केवल हौसले, उपक्रम और मेहनत में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो हमारे अधिकारी बहुत भारी काम कर रहे हैं चाहे वह कौल हो या कोई और उन की इस प्रकार से निन्दा की जानी और विदेशी संवाददाताओं द्वारा जो विदेशों में समाचार भेजते हैं निन्दा की जानी उचित नहीं है। यह बहुत ही अनुचित और गैर जिम्मेदारी का काम है जब कि वे इतना उत्तरदायित्व का काम कर रहे हैं।

जब जनरल कौल यहां से गये तो वे अचानक १४,००० फुट की उंचाई पर गए, उन्हें प्रतिदिन पहाड़ी इलाके में एक चौकी से दूसरी चौकी जाने में १६ से २० मील चलना पड़ा। वे बीमार हो गए और वे ४ या ५ दिन बाद जानकारी देने यहां आए।

श्री रामेश्वरानन्द : जो मारे गए उनका क्या बना जी ? क्या उनका वहां इलाज नहीं हुआ ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं स्वामी जी से एक प्रार्थना करूंगा कि हम इस वक्त हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हम बहुत अहम बातों पर गौर कर रहे हैं जिन से भारत का भविष्य बंधा हुआ है। वह समझते हैं कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : हम आपके साथ हैं. . . . (अन्तर्वाक्य)

हम आपके साथ हैं। देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हमारी सुनो तो सही।

†अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधान मंत्री को सुनना चाहिए ताकि हम उन्होंने जो कहा आलोचना कर सकें। जब माननीय सदस्यों के बोलने की बारी आए तो वे आलोचना कर सकते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : आप हमें समझाने लगे हैं तो दो शब्द हिन्दी में बोल दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा कि आप अभी खामोश रहें, आपकी भी बारी आयेगी और आप खूब उस वक्त कहें जितना आपका जी चाहे।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : चीनियों द्वारा यह आक्रमण २० अक्टूबर को केवल नेफा में ही नहीं हुआ। उसी दिन लद्दाख से नेफा तक सारी सीमा पर आक्रमण हुआ। वह कहा कि चूंकि हम ने नेफा में उन पर आक्रमण किया—हमारा उन्हें बाहर निकालना और उन पर आक्रमण बिल्कुल उचित है—इसलिए उन्होंने लद्दाख की सारी पंक्ति के साथ साथ आक्रमण किया गलत बात का कहना है।

२४ तारीख को लगभग सब सरकारों के या राज्यों के अध्यक्षों को एक पत्र भेजा गया जिस में चीनी आक्रमण की सारी पृष्ठभूमि की व्याख्या की और इस आक्रमण का मुकाबला करने के दृढ़-निश्चय के बारे में भी कहा। इस सन्देश की एक प्रति मैंने सभा पटल पर रख दी है। हमें कई सरकारों के उत्तर आ गए हैं। उन्होंने वर्तमान संकट में हमारे प्रति सद्भावना और सहायता करने की भावना व्यक्त की है।

इस भारी आक्रमण के चार या पांच दिन बाद चीनी प्रधान मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा जिस में तीन बातों का उल्लेख किया है। उन प्रस्तावों की स्वीकृति से युद्ध विराम हो सकता है। यह बहुत अस्पष्ट था। उन का मतलब बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। परन्तु स्पष्टीकरण के बाद भी हमें यह प्रतीत हुआ कि इस प्रस्ताव का मतलब यह था कि वे हमारे क्षेत्र पर जहां थे हम उन के वहां रहने के अधिकार को मान लें। हमारी सेना को लगभग २० किलोमीटर पीछे हटना था। दूसरे शब्दों में यद्यपि चीनी फौजों को हमारे क्षेत्र पर थोड़ा पीछे हटना था हमें और आगे पीछे हटना था। उन्हें हमारे क्षेत्र पर अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिलता ताकि बाद में वे आगे हमारे ऊपर आक्रमण करते। हमारे लिए इसे मानना असम्भव था। दूसरे देशों में इस के बारे में कुछ अस्पष्टता थी, परन्तु हमारे वताने से वह दूर हो गई है।

हमने सुझाव दिया कि वे ८ सितम्बर से पहले के स्थान पर चले जाएं अर्थात् मैकमोहन लाइन के पीछे और लद्दाख में भी ८ सितम्बर, के बाद वे जितना आगे बढ़े हैं उतना पीछे हट जाएं। कुछ मित्रों ने कहा है कि यह प्रस्ताव हमारी कमजोरी जाहिर करता था। हमें उन्हें पूर्ण रूप से जाने के लिए कहना चाहिए था। सदन को हमारी कमजोरी या शक्ति का निर्णय करना है और प्रस्तावों में भी कुछ असली श्रुतें होनी चाहिए, क्योंकि हमें न केवल इनका पालन करना है, परन्तु बाहर अपने मित्रों को विश्वास दिलाना है कि उचित प्रस्ताव रख रहे हैं जिसे कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रस्ताव यह था कि नेफा और लद्दाख में वे ८ सितम्बर की पंक्ति पर वापस चले जाएं। तब अशान्ति को दूर करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं इस पर विचार करने के लिए हम अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार थे। जब इस बात पर समझौता हो जाता तो प्रश्न के गुणों पर विचार करने के लिए हम मिल सकते थे। यह हमारा तीसरा कदम होता। हम ने यह प्रस्ताव रखा है और हम इसे मानते हैं। मेरे विचार में यह उचित प्रस्ताव है और किसी तरह से भी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल या कमजोर नहीं है।

इसी बीच में हमारे कुछ मित्र देशों ने, जिनके इरादे अच्छे हैं, युद्ध विराम के लिये और गुणाव-गुणों पर मामले के विचार के लिए विभिन्न कोशिशों कीं। युद्ध बन्द करने की उन की इच्छा प्रशंसनीय है और हम उन की इच्छा का स्वागत करते हैं। परन्तु चूंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, अतः कभी कभी उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जिन का स्थिति से अधिक सम्बन्ध नहीं था।

मैं केवल उन में से एक का ही जिक्र करूंगा। वह संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव है। इस मामले में मैं प्रधान नासर की अभ्यर्थना करता हूं कि उन्होंने अस्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिया। लोग हमें अच्छा बनने और शांतिप्रिय रहने की सलाह देते हैं, मानो हम युद्ध करना चाहते हैं। हमारा मन युद्ध की ओर नहीं है। इसीलिए युद्ध के लिए हमारी कमजोरी है। यह भिन्न बात है कि हम ने ऐसा किया है। मैं पिछली बात कह रहा हूं। अतः जो लोग अच्छा बनने की सलाह देते हैं उसका कुछ मतलब नहीं है, जब तक कि वे झगड़े को अच्छी प्रकार नहीं समझते हैं। प्रधान नासर ने मामले को समझने का कष्ट किया और कुछ प्रस्ताव रखे थे। ये प्रस्ताव बिल्कुल हमारे प्रस्ताव जैसे नहीं थे, परन्तु काफी तौर से हमारे प्रस्तावों के अनुकूल थे। उन्होंने फौजों के ८ सितम्बर की स्थिति तक वापिस चले जाने पर बल दिया। यह बड़ी बात थी। यह हमारे प्रस्ताव के अनुकार थी। चीन ने प्रधान नासर के प्रस्ताव को नहीं माना है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह संकट हम ने नहीं पैदा किया है। चीन ने अपने तथा कथित प्रदेशिक को दावों को हमारे ऊपर सैनिक शक्ति-द्वारा लादने की कोशिश की है। यथार्थ में, वे दावा किये हुए क्षेत्र पर से भी आग बढ़ गए हैं। जैसा मैं ने कहा उनकी सीमा बदलती रहती है। जो क्षेत्र उन के हाथ आ जाये उन की सीमा बन जाता है।

अपनी सीमाओं और मातृभूमि की रक्षा के लिए हम ने सब मित्र देशों से सहायता मांगी है। सहानुभूमि और सहायता की हमारी अपील का शीघ्र उत्तर जो विभिन्न देशों ने दिया है मैं उनका आभारी हूँ। यह सहायता विना शर्तों के है। अतः इसका हमारी तटस्थ नीति पर जिसकी हम कदर करते हैं सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जिन देशों ने हमारी सहायता की है उन्होंने इस बात को माना है और यह स्पष्ट कर दिया है कि वे यह आशा नहीं करते हैं कि हम वह नीति छोड़ दें। जो अमरीका, इंग्लैंड और अन्य मित्र देशों ने शीघ्रता से हमें सहायता दी है। हमारा सम्पर्क दूसरे कई देशों से है। हम ने अपना अन्य मित्र देश जैसा कि सोवियत संघ और फ्रांस से भी युद्ध का सामान देने के लिए प्रार्थना की है।

हम ने अकसर घोषणा की है कि हम किसी अन्य का क्षेत्र लेना नहीं चाहते। हम अपने क्षेत्र से संतुष्ट हैं। इसका और पहलू भी है। हमारी भूमि को कोई लेना चाहता है हमें उस के आगे नहीं झुकते और यद्यपि आक्रान्ता देश को आरंभ में कुछ सफलताएं मिली हैं मुझे यह नहीं पता कि उन के मन में क्या है? वह इसे सीदेवाजी के लिये प्रयोग में लाना चाहते हैं या उन के अन्य बुरे इरादे हैं—हम उन के आगे झुक नहीं सकते चाहे इसका कुछ भी नतीजा निकले।

कुछ लोगों ने कहा है कि "हम योजनाएं छोड़ दें और हम युद्ध की कोशिश की ओर अधिक ध्यान दें सकें"। युद्ध की कोशिश क्या है लोग आगे फौजियों के बारे में सोचते हैं। यह ठीक है। वे खतरे का मुकाबला कर रहे हैं। जिस प्रकार के संघर्ष में हम हैं उस खेत में भी प्रत्येक किसान और कारखाने में प्रत्येक मजदूर सिपाही है। लड़ाई के अतिरिक्त हमारी युद्धकी कोशिश इस बात में है कि हम सदेव खेत में और कारखाने में अधिक से अधिक उत्पादन करें। यह कोशिश हमारे विकास पर निर्भर है आज हम दस या बारह वर्ष पहले से खेत और कारखाने में वैसी कोशिश करने के लिए अधिक योग्य हैं। यह बात निःसन्देह है। अभी हम ने काफी विकास नहीं किया है। आशा है कि इस संकट के कारण हम अधिक तेजी से विकास करेंगे? इस बात का हमेशा याद रखना है कि आज फौज आधुनिक हथियारों से लड़ती है जो हथियार देश में ही बनाने हैं। यह बात उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। और उस उद्योग की बुनियाद कृषि पर है। यदि हम ने सफल होना है तो कृषि और उद्योग जो हमारे पंचवर्षीय योजना में बुनियादी चीजें हैं उन के अतिरिक्त सभी बातों में हम ने विकास करना है। बिजली युद्ध की कोशिश के लिये उद्योग और कृषि के लिये बहुत आवश्यक है। अतः पंच वर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के लिए कहना अपनी शक्ति के असली साधनों को न समझना है। हमें पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना है और कई बातों में लक्ष्यों से आगे बढ़ना है। कुछ अनावश्यक बातों को हम छोड़ सकते हैं, परन्तु पंच वर्षीय योजना की मुख्य बातों के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है मुख्य चीजों में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। ऋणों की कमी होते हुए देश कैसे लड़ सकता है? मेरे विचार में हमें खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। हम ने अधिक से अधिक उत्पादन करना है जो कि कठिन बात है। पंचवर्षीय योजना में हम ने कृषि उत्पादन के लिए ध्येय भी निर्धारित किए हुए हैं, परन्तु पिछले एक दो वर्षों से बाढ़ और अन्य कारणों से हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं?

यद्यपि हम अपने ध्येय से पीछे हट गए हैं हमें तृतीय योजना के ध्येयों से भी अधिक उत्पादन करना है और मुझे यकीन है कि हम कर सकेंगे। यदि खाद्य मंत्रालय के कार्यालय में ध्येय निर्धारित करे तो हम आसानी से उन्हें नहीं पूर्ण कर सकते। हमें किसान के पास जाना है और उसके वर्तमान कोटा और शक्ति को अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग में लाना है। लोगों की और किसानों की जिन्होंने अपना सहयोग दिया है प्रतिक्रिया से अधिक प्रसन्नता देने वाली और उत्साह देने वाली कोई बात नहीं है। उन्हें उस प्रतिक्रिया को अधिक उत्पादन में ही बदलना चाहिए? मुझे विश्वास है कि यदि हम ठीक प्रकार से उन के पास जाए तो वे ऐसा कर सकते हैं। उद्योग और शिक्षा की तरह कई अन्य चीजों में के सम्बोधन में भी ऐसा ही किया जा सकता है। हमें उन सब को युद्ध की कोशिश का अंग मानना है। इस तरह से हम न केवल अपने राष्ट्र का अधिक तेजी से निर्माण कर सकते हैं परन्तु इसे अधिक शक्तिशाली, अधिक समाजवादी विचारों वाला बनाएंगे और समाजवादी ढांचे की बुनियाद डालेंगे।

यह खतरा जिसका हमें सामना करना है एक गम्भीर आतंक है। इस चुनौती को अपनी प्रगति के लिए और हमारी सीमाओं पर आच्छादित काले बादल को इस देश में न केवल स्वतंत्रता अपितु कल्याण के उज्ज्वल सूर्य में बदलने के लिये एक अवसर बताया जा सकता है।

हमें इसे समूचे राष्ट्र के प्रयत्न के रूप में देखना हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम सैनिक राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम वस्तुतः यह चाहते हैं कि सारा राष्ट्र इस महान कार्य के लिये तैयार हो और वे अलग अलग कार्य करें भले ही वख्त ही या कारखानों में। इस प्रकार सब साथ मिल कर राष्ट्र को सुदृढ़ बनायेंगे तथा सफलता प्राप्त करेंगे। अतः हमें न केवल शस्त्रों से अपितु कृषि, उद्योग के साधनों से भी तत्पर रहना चाहिये।

किसी व्यक्ति को इस कार्य की महत्ता कम नहीं समझनी चाहिये न इस संबंध में कोई भ्रांति होनी चाहिये। इसके लिये हमें लम्बे असें तक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। तथा हमें इसके लिये प्राणापण से प्रयत्न करना है प्रतिरक्षा कोष इत्यादि के लिये कुछ दे देना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु हमें अन्त तक सुदृढ़ और मजबूत बने रहना है। अतः हमें इस संकट का सामना करने के लिये न केवल आज ही तैयारी करनी है अपितु भविष्य में भी सदैव तैयार रहना है। तभी हमें वह निश्चय और शांति प्राप्त हो सकेगी जिसकी हमें आवश्यकता है। तो इसकी झलक लोगों के वर्तमान उत्साह से मिल गयी है, न केवल युवक अपितु बूढ़े और बच्चे सभी इस समय उत्साह से भरपूर हैं।

अन्त में मैं अपने सैनिकों के संबंध में भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। ये सैनिक और वैमानिक आसुधारण परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं और अपनी सहायता का पूरा आश्वासन देते हैं। हम अथवा हमारे उत्तराधिकारी उन्हें कभी नहीं भूल सकेंगे। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में सभा के सभी पक्ष संगठित होकर खड़े रहेंगे तथा यह सिद्ध कर देंगे कि स्वतन्त्र भारत जिसने सदैव शांति और मित्रता का पक्ष लिया है वह कभी इस प्रकार के आक्रमण को बरदाश्त नहीं कर सकता है। यदि हम शांति के लिये कार्य कर सकते हैं तो आक्रमण के समय भी हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं।

अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि ये संकल्प पारित किये जायें।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इन दोनों संकल्पों को सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्य अपने स्थानापन्न प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) :- मैं संशोधन संख्या ५ और ६ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री डा० उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या ७ और ८ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मैं संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री नी० श्री कान्त नायर (क्विलोन) : मैं संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री राम रतन गुप्त : (गौडा) : मैं प्रस्ताव संख्या १२ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री राम सेवक यादव (वाराणसी) : मैं संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री पाराशर (शिवपुरी) : मैं संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री रंगा (चित्तूर) : मैं संशोधन संख्या १५ और १६ प्रस्तुत करता हूँ।

• †श्री प्रकाश बोर शास्त्री (मैं संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री शि० सूति स्वामी (कोप्पल) : मैं संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूँ।

†श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूँ।

†अध्यक्ष महोदय : उक्त उन दोनों संकल्पों तथा इन संशोधनों और स्थानापन्न प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा की जायेगी।

श्री बागड़ी (हिसार) : स्पीकर साहब, मैं यह दरखास्त करना चाहता हूँ कि टाइम लिमिट चाहे कम रखी जाये, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आनरेबल मेम्बरों की बोलने का मौका दिया जाये, ताकि सारे देश के ख्यालात हाउस के सामने आ सकें। आप लीडर्ज को जरूर ज्यादा टाइम दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेम्बरों को अपने विचार रखने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : आज बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी बठेगी, जिसमें लीडर्ज आफ गुप्स अपनी अपनी राय दे सकते हैं। उस वक्त हम फैसला करेंगे कि इस पर कुल कितना वक्त खर्च हो। जब तक वह कमेटी फैसला नहीं करती, तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री हरिविष्णु कामत : मेरी तजवीज है कि आज चार बज बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की बठक हो।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसी को उस का नोटिस समझ लिया जाय। लीडर्ज आफ गुप्स आज चार बज उस कमेटी की मीटिंग में तशरीफ लायें। मैं उन का मशकूर हूंगा। उस में हम इस बारे में फैसला कर लेंगे।